प्रेषिका,

नम्रता सिंह,
अपर सिविल जज (अ0ख0),
कोर्ट सं0–01 , बुलन्दशहर।

सेवा में,

आदरणीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

विषयः– **शासनादेश सं0 1705/दो –4–2011–45(12)/91 टी0 सी0 लखनउ दिनांक 13.01.2012 एवं शासनादेश संख्या 1363/दो –4–2009–45(12)/91 टी0 सी0 लखनउ दिनांक 13.05.2010 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरे चयन के समय विधि स्नातकोत्तर एल0 एल0 एम0 उपाधि धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि 15.11.2019 से प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रर्थिया ने दिनांक 15.11.2019 को अपर सिविल जज, (अवर खण्ड), न्याय कक्ष सं0–1, बुलन्दशहर के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थिया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर होने के कारण ग्रहण करने की दिनांक 15.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्राप्त करने की अधिकारीणी है। प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदन पत्र में भी वर्णित किया है।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थीया को पदभार ग्रहण करने की दिनांक 15.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थीया का प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करे।

सादर।

दिनांक 07.11.2020

भवदीया,
Namrata 07/11/2020
(नम्रता सिंह),
अपर सिविल जज (अ0ख0),
कोर्ट सं0–01 , बुलन्दशहर।

संलग्नकः–
1– विधि स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकनपत्र की छायाप्रति।
2– विधि स्नातकोत्तर उपाधि की छायाप्रति।

Scanned with CamScanner